

THE UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2017

(U. P. Act No. 10 of 2018)

— —

ARRANGEMENT OF SECTIONS

--

Sections :

1- Short title

2- Repeal Of Certain Enactments

3- Savings

-Schedule.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 जनवरी, 2018

पौष 16, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 2728/79-वि-1-17-1(क)18-17

लखनऊ, 6 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: -

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

कतिपय
अधिनियमितियों
का निरसन

2—नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्वारा निरसित की जाती हैं।

व्यावृत्ति

3—इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,—

(क) ऐसा कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू किया गया हो, सम्मिलित किया गया हो या निर्दिष्ट हो;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्संबंधी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्माण या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धांत या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे।

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसित किये जाने वाले अधिनियम

- 1—पुलिस आगरा अधिनियम, 1854 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1854)
- 2—दी मिर्जापुर स्टोन महाल ऐक्ट, 1886 (ऐक्ट संख्या 5 सन् 1886)
- 3—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 33 सन् 1980)
- 4—उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 34 सन् 1980)
- 5—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1993)
- 6—उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1993)
- 7—उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1993)
- 8—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1996)
- 9—उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1996)
- 10—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान)(संख्या 2) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 32 सन् 1996)
- 11—उत्तर प्रदेश विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1996)
- 12—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1997 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1997)
- 13—उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1997 (अधिनियम संख्या 13 सन् 1997)
- 14—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 11 सन् 2002)
- 15—उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2002)

उद्देश्य और कारण

केन्द्रीय विधि आयोग तथा केन्द्र सरकार द्वारा गठित रामानुजम समिति की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान तथा स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान अधिसूचित, और अप्रचलित एवं अनुपयोगी हो चुके अधिनियमों को संबंधित प्रशासकीय विभागों से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के द्वितीय सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित करके निरसित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2728(2)/LXXIX-V-1-17-1(ka) 18-17

Dated Lucknow, January 6, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nirsan Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 5, 2018 :-

THE UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2017

(U. P. ACT No. 10 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal certain enactments.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Repealing Act, 2017. | Short title |
| 2. The enactments specified in the Schedule below are hereby repealed. | Repeal of certain enactments |
| 3. The repeal by this Act of any enactment shall not,— | Savings |
| (a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; | |
| (b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of any thing already done or suffered or any right, title obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing; | |
| (c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognised or derived by, in or from any enactment hereby repealed; | |
| (d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force. | |